संख्या बीमा-1027/दस-90-87/1983

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 5 जुलाई, 1990।

विषय:-"उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं बीमा आच्छादन की धनराशि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित की जा रही "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" से सम्बन्धित शासनादेश संख्या बीमा-1316/दस-16/80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981 तथा संख्या बीमा-2627/दस-87/83, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना चूंकि "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना" के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है और केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजना में दिनांक 1 जनवरी, 1990 से मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन की धनराशि में वृद्धि कर दी है अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भी "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना" को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के हितार्थ और अधिक उदार एवं कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 1 मार्च, 1990 से इस योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान की दरों एवं उनके विरुद्ध प्रदत्त बीमा आच्छादन की धनराशि में निम्नवत् संशोधन/वृद्धि करने का निर्णय लिया है:-

अधिकारियों/कर्मचारियों का समूह	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की राशि	बचत निधि पर ब्याज दर
	रु0	रु0	रु0	रु0	
समूह "क"	120.00	36.00	84.00	1,20,000.00	12 प्रतिशत
समूह "ख"	60.00	18.00	42.00	60,000.00	त्रैमासिक चक्रवृद्धि
समूह "ग"	30.00	9.00	21.00	30,000.00	
समूह "घ"	30.00	9.00	21.00	30,000.00	

2--उपर्युक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित योजना अब पुलिस कर्मचारियों सहित राज्य सरकार के समस्त सेवकों पर दिनांक 1 मार्च, 1990 से समान रूप से लागू होगी तथा अप्रैल, 1990 में आहरित किये जाने वाले मार्च, 1990 माह के वेतन से संशोधित दरों पर मासिक अभिदान की वसूली की जायगी।

3--मुझे यह भी कहना है कि दिनांक 1 मार्च, 1990 से संशोधित मासिक अभिदान की दरों के अनुसार अभिदान की धनराशि तथा पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार अब तक सरकारी सेवकों के वेतन से काटी गई धनराशि के अन्तर को अधिकतम छः मासिक किश्तों में उसके वेतन से काटा जायगा तथा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायगा। दिनांक 1 मार्च, 1990 के बाद सेवा निवृत्त तथा दिवंगत हुए सरकारी सेवकों के सामूहिक बीमा संबंधी दावों का भुगतान मासिक अभिदान की पुनरीक्षित दर तथा पुरानी दरों के अन्तर की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक अथवा वास्तविक लाभार्थी, जैसी स्थिति हो, से एक मुश्त जमा कराने के बाद ही किया जायगा।

4--मुझे यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में अब तक निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5--कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को अवगत करा दें ।

भवदीय,
भोलानाथ तिवारी,
सचिव ।

संख्या बीमा-1027 (1)/दस-90-87/83, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।

3--श्री राज्यपाल का सचिवालय ।

4--कन्ट्रोलर आफ इन्श्योरेन्स, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) बीमा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली ।

5--गृह मन्त्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, को 50 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

6--भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

7--भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, (व्यय विभाग), लोक नायक भवन (8वां तल), नई दिल्ली ।

8--प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

9--निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, 10वीं मंजिल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

10--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

11--निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ ।

12--पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय, इलाहाबाद ।

13--गोपन अनुभाग-1, को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/12/90 सी0 एक्स0 (1), दिनांक 23 मई, 1990 के संदर्भ में ।

14--निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासनादेश की 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार-पत्र तथा अन्य माध्यमों से उक्त शासनादेश का व्यापक प्रचार कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
रमा शंकर चौधरी,
उप सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 प्री0 41 सा0 वित्त--11-7-90--(1282)--12,000--(हि0) ।